ए.

सत्य देव @भूरे

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2019 की आपराधिक अपील No.860)

बी.

07 अक्टूबर, 2020

[एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-एस।2(एल), 7 ए, 15,16 (2), 20,64,69-2000 अधिनियम की योजना और प्रयोज्यता-अपीलार्थी और सह-अभियुक्त व्यक्ति जिन्हें निचली अदालत ने एफ. आई. आर. डी. में दोषी ठहराया है। 11.12.81 यू/एस।302 आर/डब्ल्यू एस।34, भारतीय दण्ड संहिता सी. और आजीवन कारावास की सजा-विवादित फैसले से पुष्टि-सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में एस. एल. पी. खारिज कर दी गई, हालांकि अपीलकर्ता के मामले में किशोरावस्था की याचिका पर नोटिस जारी किया गया था-आयोजितःउच्चतम न्यायालय इस स्तर पर अपीलार्थी की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय और निर्धारण कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह 1986 के अधिनियम के तहत अपराध की तारीख को किशोर होने के लाभ का हकदार नहीं था, और 2000 के अधिनियम के लागू होने पर वयस्क हो गया था-चूंकि अपीलार्थी की आयु अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम थी, इसलिए वह किशोर के रूप में माने जाने और 2000 के अधिनियम के अनुसार लाभ दिए जाने का हकदार है।6, सामान्य खंड अधिनियम आर/डब्ल्यू एस।25 2015 के अधिनियम के अनुसार, एक अभियुक्त को अपराध करने के समय अठारह वर्ष से कम आयु के किशोर के रूप में माने जाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा अधिकार जिसे उसने 2000 के अधिनियम के तहत प्राप्त किया है और फलीभूत किया है, भले ही अपराध 2000 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किया गया था।25 2015 अधिनियम, 2000 अधिनियम उन कार्यवाहियों को लागू करना और नियंत्रित करना जारी रखेगा जो 2015 अधिनियम के लागू होने के समय लंबित थीं-अपीलार्थी अब तक 2 साल से अधिक समय से कारावास से गुजर चुका है-अपीलार्थी की

दोषसिद्धि बरकरार है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा को दरकिनार कर दिया गया है-किशोर न्याय बोर्ड को उचित आदेश/निर्देश पारित करने के लिए प्रेषित किया गया मामला। 15 2000 के अधिनियम में मृतक के परिवार को दिए जाने वाले जुर्माने और मुआवजे की उचित मात्रा के निर्धारण और भुगतान का प्रश्न शामिल है-किशोर न्याय अधिनियम, 1986-किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 -धारा 2,25,111-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 -धारा 6-दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

128 ए.

129

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-2015 के किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की तुलना में 2015 अधिनियम की प्रयोज्यता-चर्चा 2015 का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम।

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 -एस. 25-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का दायरा और अनुप्रयोग।

बी.

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** लंबित कार्यवाहियों पर **2000** के अधिनियम को लागू करने पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों के आलोक में**,** अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य और

सी.

उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य**,** मामले को संदर्भित किया गया था

एक संविधान पीठ ने प्रताप के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में फैसला सुनाया

सिंह बनाम झारखंड राज्य और दूसरा।इसके बाद

प्रताप सिंह में संविधान पीठ का निर्णय, **2006** के संशोधन अधिनियम संख्या **33** द्वारा **2000** के अधिनियम में कई संशोधन किए गए थे।ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन **2000** के अधिनियम की पहली धारा **2 (1)** को संदर्भित किया जाएगा जो "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" को परिभाषित करता है। **2000** के अधिनियम की धारा **2** के खंड **(1)** के संदर्भ में, अपीलार्थी, जिसकी आयु **18** वर्ष से कम है, अपराध करने की तारीख को किशोर था।**2000** के अधिनियम की धारा **20,** जो लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान प्रदान करती है, **2006** के अधिनियम **33** के संशोधन के बाद, धारा **20** लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है और **2000** के अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद एक सीमित गैर-अस्थाई या अधिस्थापक खंड के साथ शुरू होती है। विधायी आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि **2000** का अधिनियम लागू होने की तारीख को किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस अदालत के समक्ष जारी रहेगी जैसे कि **2000** का अधिनियम पारित नहीं किया गया था।यद्यपि अदालतक समक्ष कार्यवाही जारी रखबाक अछि, धारा मे कहल गेल अछि जे जँ अदालत एहि निष्कर्ष पर पहुँचैत अछि जे कोनो किशोर अपराध कयने अछि, तँ ओ निष्कर्षकेँ दर्ज करत, मुदा सजा के आदेश पारित करबाक बदला, किशोर न्याय बोर्ड **(**बोर्ड**)** केँ अग्रेषित करत जे तखन **2000** क अधिनियमक प्रावधानक अनुसार आदेश पारित करत, जेना कि बोर्ड स्वयं जाँच कयने छल आ संतुष्ट छल जे किशोर अपराध कयने छल।हालांकि परंतुक में कहा गया है कि बोर्ड, किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, मामले की समीक्षा कर सकता है और किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

2006 के अधिनियम **33** की धारा **20** में जोड़ा गया स्पष्टीकरण, जो फिर से महत्वपूर्ण महत्व का है, कहता है कि वह न्यायालय जहां 'कार्यवाही' किसी भी स्तर पर 'लंबित है, अभियुक्त की किशोरता के प्रश्न का निर्धारण करेगा।'सभी लंबित मामले' अभिव्यक्ति में न केवल मुकदमा बल्कि अपील, संशोधन आदि या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल है।अंत में, **2000** अधिनियम उन मामलों में भी लागू होता है जहां अभियुक्त अपराध करने की तारीख को किशोर था, लेकिन **2000** अधिनियम

के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले किशोर होना बंद कर दिया था। ऐसे मामलों में भी, **2000** के अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होते हैं जैसे कि ये प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और अपराध किए जाने के समय सभी भौतिक समय पर लागू थे।इस प्रकार, लंबित मामलों के संबंध में, धारा **20** आधिकारिक रूप से आदेश देती है कि अदालत को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि निचली अदालत के फैसले को तब भी पोस्ट करना चाहिए जब मामला अपील, संशोधन या अन्यथा में लंबित हो, किशोरता के प्रश्न पर विचार करना और निर्णय लेना चाहिए।किशोरता का निर्धारण अपराध करने की तारीख की उम्र से किया जाता है।इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किशोर **2000** के अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को वयस्क था या बाद में वयस्कता प्राप्त कर चुका था।यदि अभियुक्त किशोर था, तो अदालत, दोषसिद्धि बनाए रखते हुए भी, **2000** के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और आदेश जारी करने के लिए मामले को बोर्ड को भेजेगी। **[**पारस **9-11] [136-E; 137-C-E; 138-C-H; 139-A-C]**

बी.

सी.

डी.

ई.

अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 488:[2000]

1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 69;** उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य

(1982) 2 एससीसी 202:[1982] 3 एससीआर 583; प्रताप सिंह

बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य **(2005) 3** एस**.** सी**.** सी**. 551:**

एफ.

[2005] 1 एस**.** सी**.** आर**. 1019-**संदर्भित।

1.2 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या **33** द्वारा, **2000** के अधिनियम में धारा **7-**ए को जोड़ा गया था, जिसमें किशोरता के दावे को निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया गया था।धारा **7** ए **22.08.2006** पर लागू हुई।धारा **7** ए का प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किशोरता का दावा मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर 'किसी भी अदालत' के समक्ष उठाया जा सकता है।जब ऐसा दावा किया जाता है, तो इसका निर्धारण **2000** के अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही अभियुक्त का नाबालिक होना 'क' पर या उससे पहले समाप्त हो गया हो।

जी.

एच.

131

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

2000 के अधिनियम का प्रारंभ। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभियुक्त**,** यद्यपि अपराध करने की तारीख को एक किशोर था**, 2000** के अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले या बाद में वयस्क हो गया था।वह **2000** के अधिनियम का लाभ उठाने का हकदार होगा। **2000** के अधिनियम की धारा **64** को भी **2006** के अधिनियम संख्या **33** द्वारा एक परंतुक और स्पष्टीकरण को शामिल करके और मुख्य प्रावधान में 'निर्देशित कर सकता है' शब्दों को 'निर्देशित करेगा' शब्दों से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया था।मुख्य प्रावधान में 'निर्देशित किया जा सकता है' के साथ 'निर्देशित किया जाएगा' शब्दों का प्रतिस्थापन यह स्पष्ट करना है कि प्रावधान अनिवार्य है न कि निर्देशिका।धारा **64** को नए जोड़े गए परंतुक और स्पष्टीकरण के साथ**-**साथ धारा **20** में **2006** के अधिनियम **33** द्वारा किए गए अन्य संशोधनों और **2000** के अधिनियम में धारा **7** ए को शामिल करने के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य प्रावधान में कहा गया है कि जहां कानून के साथ टकराव में एक किशोर **2000** के अधिनियम के प्रारंभ में कारावास की किसी भी सजा से गुजर रहा है**,** उसे सजा काटने के बदले किसी विशेष गृह में भेजा जाएगा या किसी उपयुक्त संस्थान में रखा जाएगा।इसके अलावा**, 2000** के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है जैसे कि बोर्ड द्वारा किशोर को विशेष गृह या संस्थान में भेजने का आदेश दिया गया था और अधिनियम की धारा **16** की उप**-**धारा **(2)** के तहत सुरक्षात्मक देखभाल के तहत रखने का आदेश दिया गया था। परंतुक में कहा गया है कि राज्य सरकार या बोर्ड**,** लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए**,** कानून के साथ संघर्ष में किशोर के मामले की समीक्षा करता है जो कारावास की सजा से गुजर रहा है और जो **2000** के अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले किशोर नहीं रह गया था और उचित आदेश पारित करता है।तथापि**,** यह स्पष्टीकरण अत्यधिक महत्व का है क्योंकि इसमें कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां कानून के साथ टकराव में एक किशोर **2000** अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कारावास की सजा से गुजर रहा है**,** किशोरता के मुद्दे सहित किशोर के मामले को धारा **2** के खंड **(1)** और **2000** अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य प्रावधानों और नियमों के संदर्भ में तय किया गया माना जाएगा**,** इस तथ्य के बावजूद कि किशोर किशोर नहीं रह गया था।ऐसे किशोर को उसकी सजा की शेष अवधि के लिए विशेष गृह या उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा**,** लेकिन ऐसी सजा **2000** अधिनियम की धारा **15** में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। कानून निर्धारित मामलों में भी दी गई सजा को निरस्त और संशोधित करता है।**[**पारस **12,13] [139-**सी**-**एच**; 140-**ए**-**सी**; 141-**बी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1.3 यह न्यायालय इस स्तर पर अपीलार्थी की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय और निर्धारण कर सकता है**,** इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी **1986** के अधिनियम के तहत अपराध की तारीख को किशोर होने के लाभ का हकदार नहीं था**,** और **2000** के अधिनियम के लागू होने पर वयस्क हो गया था।चूंकि अपीलार्थी की आयु **11.12.1981** पर बाड़ लगाने की तारीख को **18** वर्ष से कम थी**,** इसलिए वह किशोर के रूप में माने जाने और **2000** के अधिनियम के अनुसार लाभ दिए जाने का हकदार है। यह इस न्यायालय को इस प्रश्न पर लाता है कि क्या किशोर न्याय **(**देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम **2015 (2015** अधिनियम**)** लागू होगा क्योंकि **2015** अधिनियम धारा **111** की उप**-**धारा **(1)** के माध्यम से **2000** अधिनियम को निरस्त करता है**,** हालांकि धारा **111** की उप**-**धारा **(2)** में कहा गया है कि इसके बावजूद **2000** अधिनियम के तहत किया गया कुछ भी निरसन या की गई कोई भी कार्रवाई **2015** अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। **2000** के अधिनियम की धारा **69** 'निरसन और बचत खंड' उसी तरह है जैसे इसकी उप**-**धारा **(1)** ने **1986** के अधिनियम को निरस्त किया था और उप**-**धारा **(2)** में प्रावधान है कि इस तरह के निरसन के बावजूद **1986** के अधिनियम के तहत कुछ भी किया गया या की गई कोई कार्रवाई **2000** के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। हालाँकि**,** जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है वह **2015** के अधिनियम की धारा **25** है**,** जो उस धारा के शीर्षलेख के अनुसार**,** 'लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान' को शामिल करती है।धारा **25** एक गैर**-**अस्थाई खंड है जो **2015** के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख यानी **31** दिसंबर **2015** को किसी भी बोर्ड या अदालत के समक्ष लंबित कानून के साथ कथित या संघर्ष में पाए गए बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है।इसमें कहा गया है कि उस बोर्ड या अदालत में लंबित कार्यवाही जारी रखी जाएगी जैसे कि **2015** का अधिनियम पारित नहीं किया गया था।**2015** के अधिनियम की धारा **25** में बोर्ड या अदालत के समक्ष 'कोई भी' शब्द के उपयोग का अर्थ होगा और इसमें अपीलीय अदालत या अदालत सहित कोई भी अदालत शामिल होगी जिसके समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित है।यह 'एक बच्चा कथित या

कानून के साथ संघर्ष में पाया गया' शब्दों के उपयोग से भी स्पष्ट है।'पाया' शब्द का उपयोग भूतकाल में किया जाता है और यह उन मामलों में लागू होता है जहां आदेश/निर्णय पारित किया गया है।'कथित' शब्द उन कार्यवाहियों को संदर्भित करेगा जहां कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और मामला विचाराधीन है।इसके अलावा, **2015** अधिनियम की धारा **25** बोर्ड या अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसमें अपीलीय अदालत या ए सहित कोई भी अदालत शामिल होगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

133

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

न्यायालय जहाँ पुनरीक्षण याचिका लंबित है।धारा **25** के संदर्भ में, 'न्यायालय' शब्द का अर्थ एक सिविल न्यायालय तक सीमित नहीं है, जिसे **2015** के अधिनियम की धारा **2** के खंड **(23)** के संदर्भ में 'गोद लेने' और 'संरक्षकता' के मामले में अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। परिभाषा खंड तब तक लागू होता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।धारा **25** के मामले में, विधायिका स्पष्ट रूप से एक दीवानी अदालत का उल्लेख नहीं कर रही है क्योंकि यह धारा एक बच्चे के संबंध में लंबित कार्यवाही से संबंधित है जो कथित या कानून के साथ संघर्ष में पाया जाता है, जो एक दीवानी अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही नहीं हो सकती है।चूंकि **2015** का अधिनियम सभी लंबित कार्यवाहियों के लिए **2000** के अधिनियम के अनुप्रयोग की रक्षा करता है और पुष्टि करता है, इसलिए यह न्यायालय यह नहीं पढ़ता है कि **2015** के अधिनियम का विधायी इरादा इसके विपरीत है, यानी **2015** के अधिनियम को सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू करना है।सामान्य खंड अधिनियम, **1897** की धारा **6** जो किसी अधिनियम के "निरसन" के परिणाम का प्रावधान करती है।नतीजतन, **2015** के अधिनियम की धारा **25** के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा **6** के आलोक में, एक आरोपी को अपराध करने के समय अठारह वर्ष से कम उम्र में किशोर के रूप में माने जाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा अधिकार जो उसने **2000** के अधिनियम के तहत प्राप्त किया और फलीभूत किया है, भले ही अपराध **2000**

के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किया गया था।**2015** के अधिनियम**, 2000** की धारा **25** के संदर्भ में उन कार्यवाहियों को लागू करना और नियंत्रित करना जारी रहेगा जो **2015** के अधिनियम के लागू होने के समय लंबित थीं।**(**वर्तमान मामले में**,** इस न्यायालय को इस प्रश्न की जांच और निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या **2000** अधिनियम या **2015** अधिनियम **2015** अधिनियम के अधिनियमन से पहले अपराध किए जाने पर लागू होगा**,** लेकिन आरोप पत्र **2015** अधिनियम के अधिनियमन के बाद दायर किया गया था। जवाब के लिए संविधान के अनुच्छेद **20** के खंड **(1)** और कई अन्य पहलुओं की जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि **2015** का अधिनियम कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है।इन पहलुओं और मुद्दों पर बहस नहीं की गई है**)**।**[**पारस **17,18] [146-**ई**-**एच**; 147-**ए**-**एच**; 148-**ए**-**जी**]** अख्तर बी बनाम एम**.** पी**.** राज्य। **(2001) 4** एससीसी **355:[2001] 2** एस**.** सी**.** आर**. 626-**पर निर्भर।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.4 विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जाती है और उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है।अपराध करने की तिथि पर अपीलार्थी की आयु **18** वर्ष से कम थी।

एच.

और यह निर्विवाद और निर्विवाद बना हुआ है।अपीलार्थी अब तक **2** साल से अधिक समय से कारावास से गुजर चुका है।जबकि अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार है**,** आजीवन कारावास की सजा को दरकिनार कर दिया गया है।यह मामला **2000** के अधिनियम की धारा **15** के तहत उचित आदेश**/**निर्देश पारित करने के लिए बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भेजा जाता है**,** जिसमें निर्धारित करने और जुर्माने की उचित मात्रा का भुगतान और मृतक के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल शामिल है।**[**पारस **21,22] [150-**सी**-**एफ**]**

बी.

गौरव कुमार @मोनू बनाम हरियाणा राज्य (2019) 4

एससीसी **549:[2019] 3** एससीआर **372-**प्रतिष्ठित।

सी.

धरमबीर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य (2010)

5 एससीसी 344:[2010] 5 एस. सी. आर. 137; मुमताज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 11 एस. सी. सी. 786:[2016] 3 एस. सी. आर. 434; हरि राम बनाम राजस्थान राज्य (2009) 13 एस. सी. सी. 211:[2009]

7 एससीआर **623;** जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

डी.

(2013) 11 एससीसी **193:[2013] 13** एससीआर **764-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 पूरक।एससीआर **69**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[1982] 3 एससीआर **583**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

ई.

[2005] 1 एससीआर **1019**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2010] 5 एससीआर **137**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

पैरा **15**

उस पर भरोसा करें

[2016] 3 एससीआर **434**

[2009] 7 एससीआर **623**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16**

एफ.

[2001] 2 एससीआर **626**

उस पर भरोसा करें

पैरा **18**

[2019] 3 एससीआर **372**

प्रतिष्ठित

पैरा **19**

[2013] 13 एससीआर **764**

उस पर भरोसा करें

पैरा **19**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 860।

जी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से, 1982 की आपराधिक अपील संख्या 994 में लखनऊ की पीठ।

एच.

135

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

ए.

अपूर्व कुरुप, निर्मल अम्बस्ता, ईशान बघेल, सुश्री उपमा भट्टाचार्जी, आशीष मदाम, सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, परमानंद पांडे, उत्कर्ष पांडे, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

बी.

1. केशव राम और राम कुबेर द्वारा दायर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के दिनांक 1 के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था, हालांकि सह-आरोपी सत्य देव @भूरे के मामले में किशोरावस्था की याचिका पर नोटिस जारी किया गया था।विवादित फैसले ने केशव राम, राम कुबेर और सत्य देव को निचली अदालत द्वारा प्राथमिकी संख्या 156/1981 दिनांक 11.12.1981 गिलौला, जिला पुलिस स्टेशन में दोषसिद्धि ठहराए जाने की पुष्टि की थी।बहराइच, उत्तर प्रदेश भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के आदेश के लिए।2. सत्य देव के मामले में दिनांक 02.05.2019 के आदेश द्वारा छुट्टी दी गई थी।

सी.

डी.

3. आई. डी. 2 दिनांकित आदेश द्वारा निचली अदालत को यह पता लगाने के लिए एक जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या सत्य देव घटना की तारीख यानी आई. डी. 1 पर एक किशोर था, उस सामग्री के आधार पर जिसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

ई.

4. निर्देशों के अनुसार, प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बहराइच, उत्तर प्रदेश ने एक जांच की है और दिनांक 06.03.2020 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।रिपोर्ट के अनुसार, सत्य देव की जन्म तिथि 15.4.1965 है।तदनुसार, अपराध करने की तारीख यानी 11.12.1981 पर उसकी उम्र 16 वर्ष 7 महीने और 26 दिन थी।यह रिपोर्ट राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज, रामनगर खजुरी, बहराइच द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल रूप में) और प्राथमिक विद्यालय, पैरी के प्रवेश रजिस्टर पर निर्भर करती है, जो दस्तावेज श्री द्वारा साबित किए गए थे। कृष्ण देव, क्लर्क, राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज, रामनगर खजुरी, बहराइच और श्रीमती. अनुपम सिंह, क्रमशः प्राथमिक विद्यालय, पैरी के प्रभारी प्रधानाध्यापिका।इसके अलावा, सत्य देव रोल के माध्यम से कक्षा-10 की परीक्षा में उपस्थित हुए थे।सं. 9020777, और इस परीक्षा से संबंधित राजपत्र में दर्ज उनकी जन्म तिथि 15.04.1965 है।

एफ.

जी.

एच.

5. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी की मृत्यु हो गई थी और परिणामस्वरूप वादी के उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया गया था, जो प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बहराइच के समक्ष पेश नहीं हुए थे।अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं किया था।

6. सत्यदेव की जन्म तिथि निर्विवाद है और हमारे सामने इसे चुनौती नहीं दी गई है।

बी.

7. इस निष्कर्ष के बावजूद, प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बहराइच ने कहा है कि सत्य देव किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) के अनुसार किशोर नहीं थे क्योंकि अपराध की तारीख यानी 11.12.1981 पर उनकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी।
8. यह पहेली 1986 के अधिनियम के तहत 'किशोर' की परिभाषा के आलोक में है, जो एक लड़के के मामले में सोलह वर्ष से कम और एक लड़की के मामले में अठारह वर्ष से कम थी, जिस तारीख को लड़के या लड़की को अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहली बार पेश किया जाता है, जबकि 2000 का अधिनियम, जैसा कि नीचे देखा गया है, एक लड़के या लड़की के बीच अंतर नहीं करता है और अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किशोर है।इसके अलावा, 2000 के अधिनियम के तहत, अपराध करने की तारीख की उम्र निर्धारित करने वाला कारक है।

सी.

डी.

9. लंबित कार्यवाहियों पर 2000 अधिनियम के लागू होने पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों के आलोक में,

अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य **1** और उमेश चंद्र बनाम बिहार राज्य

ई.

राजस्थान **2,** मामला एक संविधान पीठ को भेजा गया और निर्णय लिया गया

प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य के रूप में दर्ज मामले में और

अन्य **3.**संविधान पीठ ने निर्णय के लिए दो बिंदु तैयार किए**,** अर्थात्:

“(क) क्या घटना की तारीख कथित अपराधी की आयु किशोर अपराधी के रूप में निर्धारित करने के लिए गणना की तारीख होगी या वह तारीख जब उसे अदालत/सक्षम प्राधिकारी में पेश किया जाएगा।(ख) क्या 2000 का अधिनियम उस मामले में लागू होगा जिसमें 1986 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और जब 2000 का अधिनियम 1-4-2001 से लागू किया गया था।”

एफ.

जी.

दूसरे प्रश्न पर, संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 2000 अधिनियम के तहत स्थापित एक लंबित कार्यवाही में लागू होगा

1 (2000) 5 एससीसी 488 2 (1982) 2 एससीसी 202 3 (2005) 3 एससीसी 551 ए

एच.

137

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

1986 किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में अधिनियम, यदि व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2001 को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, जब 2000 का अधिनियम लागू हुआ था।पहले प्रश्न पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किशोर की आयु के निर्धारण के लिए गणना की तारीख अपराध की तारीख है न कि उस तारीख को जब उसे प्राधिकरण या अदालत में पेश किया जाता है।नतीजतन, 2000 अधिनियम का संभावित प्रभाव होगा और पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जहां व्यक्ति ने 2000 अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। अन्य लंबित मामलों को 1986 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

बी.

10. प्रताप सिंह (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद, 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा 2000 के अधिनियम में कई संशोधन किए गए।ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हम 2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) का उल्लेख करके शुरू करेंगे जो "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

सी.

“(एल) "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" का अर्थ है एक किशोर जिसने अपराध करने का आरोप लगाया है और जिसने ऐसा अपराध करने की तारीख को अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी

नहीं की है "2000 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में, सत्य देव, 18 वर्ष से कम आयु के होने के कारण, अपराध करने की तारीख को किशोर था।

डी.

ई.

11. 2000 के अधिनियम की धारा 20, जो 2006 के अधिनियम 33 के संशोधन के बाद लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान प्रदान करती है, में कहा गया हैः

“20. लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान।— इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाहियां, जिस तारीख को यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है, उस अदालत में इस तरह जारी रखी जाएंगी जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसा निष्कर्ष दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेजेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगी जैसे कि इस अधिनियम के तहत जांच पर यह संतुष्ट हो गया था कि एक किशोर ने अपराध किया हैः

एफ.

जी.

एच.

बशर्ते कि बोर्ड, आदेश में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण।—किसी भी न्यायालय में कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर के संबंध में मुकदमे, संशोधन, अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही सहित सभी लंबित मामलों में, ऐसे किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर दे और इस अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय पर लागू हुए थे जब कथित अपराध किया गया था।”

बी.

सी.

धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है और 2000 के अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद एक सीमित गैर-अस्थाई या अधिस्थापक खंड के साथ शुरू होता है। विधायी आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि 2000 का अधिनियम लागू होने की तारीख को किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस अदालत के समक्ष जारी रहेगी जैसे कि 2000 का अधिनियम पारित नहीं किया गया था।यद्यपि अदालतक समक्ष कार्यवाही जारी रखबाक अछि, धारा मे कहल गेल अछि जे जँ अदालत एहि निष्कर्ष पर पहुँचैत अछि जे कोनो किशोर अपराध कऽ चुकल अछि, तँ ओ निष्कर्षकेँ दर्ज करत, मुदा सजा के आदेश पारित करबाक बदला, किशोर न्याय बोर्ड (बोर्ड) केँ अग्रेषित करत जे तखन 2000 क अधिनियमक प्रावधानक अनुसार आदेश पारित करत, जेना कि बोर्ड स्वयं जाँच कयने छल आ संतुष्ट छल जे किशोर अपराध कयने छल।हालांकि परंतुक में कहा गया है कि बोर्ड, किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, मामले की समीक्षा कर सकता है और किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।2006 के अधिनियम 33 द्वारा धारा 20 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण, जो फिर से महत्वपूर्ण महत्व का है, कहता है कि वह न्यायालय जहां 'कार्यवाही' किसी भी स्तर पर 'लंबित है, अभियुक्त की किशोरता के प्रश्न का निर्धारण करेगा।'सभी लंबित मामले' अभिव्यक्ति में न केवल मुकदमा बल्कि अपील, संशोधन आदि या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल है।अंत में, 2000 अधिनियम उन मामलों में भी लागू होता है जहां अभियुक्त अपराध करने की तारीख को किशोर था, लेकिन 2000 अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले किशोर होना बंद कर दिया था। ऐसे मामलों में भी, 2000 के अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होते हैं जैसे कि ये प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और अपराध किए जाने के समय सभी भौतिक समय पर लागू थे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

139

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

इस प्रकार, लंबित मामलों के संबंध में, धारा 20 आधिकारिक रूप से आदेश देती है कि अदालत को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि निचली अदालत के फैसले को तब भी पोस्ट करना चाहिए जब मामला अपील, संशोधन या अन्यथा में लंबित हो, किशोरता के प्रश्न पर

विचार करना और निर्णय लेना चाहिए।किशोरता का निर्धारण अपराध करने की तारीख की उम्र से किया जाता है।इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किशोर 2000 के अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को वयस्क था या बाद में वयस्कता प्राप्त कर चुका था।यदि अभियुक्त किशोर था, तो अदालत, दोषसिद्धि बनाए रखते हुए भी, 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और आदेश जारी करने के लिए मामले को बोर्ड को भेजेगी।

बी.

12. 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा, 2000 के अधिनियम में धारा 7-ए को जोड़ा गया था, जिसमें किशोरता के दावे को निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया गया था।धारा 7 ए, जो 22.08.2006 पर लागू हुई, पढ़ती हैः

सी.

“7-ए. किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किए जाने पर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।—(1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो यह राय होती है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, न्यायालय एक जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके, और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी उम्र लगभग हो सकेः

डी.

ई.

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर चुका हो।

एफ.

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगी और अदालत द्वारा दी गई सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।”

जी.

धारा 7 ए का प्रावधान हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किशोरता का दावा मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी 'किसी भी स्तर पर' किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है।जब ऐसा दावा किया जाता है, तो यह

एच.

2000 के अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, भले ही अभियुक्त 2000 के अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले किशोर न रह गया हो। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभियुक्त, यद्यपि अपराध करने की तारीख को एक किशोर था, 2000 अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले या बाद में वयस्क हो गया था।वह 2000 के अधिनियम का लाभ उठाने का हकदार होगा।

बी.

13. 2000 के अधिनियम की धारा 64 को भी 2006 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा एक परंतुक और स्पष्टीकरण को शामिल करके और मुख्य प्रावधान में 'निर्देशित कर सकता है' शब्दों को 'निर्देशित करेगा' शब्दों से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया था।संशोधन के बाद, धारा 64 निम्नानुसार हैः

सी.

“64. इस अधिनियम के प्रारंभ में सजा से गुजर रहे कानून के साथ संघर्ष में किशोर -

जिस किसी क्षेत्र में यह अधिनियम लागू किया जाता है, राज्य सरकार यह निर्देश देगी कि कानून के साथ टकराव में एक किशोर जो इस अधिनियम के प्रारंभ में कारावास की किसी भी सजा से गुजर रहा है, उसे किसी विशेष गृह में भेजा जाएगा या उसे उस तरह से उपयुक्त संस्थान में रखा जाएगा जो राज्य सरकार सजा की शेष अवधि के लिए उचित समझती है और इस अधिनियम के प्रावधान किशोर पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि उसे बोर्ड द्वारा ऐसे विशेष गृह या संस्थान में भेजने का आदेश दिया गया हो या, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के तहत सुरक्षात्मक देखभाल के तहत रखने का आदेश दिया गया हो।

डी.

ई.

बशर्ते कि राज्य सरकार, या, यथास्थिति, बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, कारावास की सजा से गुजर रहे कानून के साथ टकराव में एक किशोर के मामले की समीक्षा कर सकता है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले ऐसा होना बंद कर चुका है, और ऐसे किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।व्याख्याः– उन सभी मामलों में जहां कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी स्तर पर कारावास की सजा से गुजर रहा है, किशोरता के मुद्दे सहित उसका मामला धारा 2 के खंड (1) और इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित अन्य प्रावधानों के संदर्भ में तय किया गया माना जाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह ए या ए पर किशोर नहीं रह जाता है।

एफ.

जी.

एच.

141

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ऐसी तारीख से पहले और तदनुसार उसे सजा की शेष अवधि के लिए, यथास्थिति, विशेष गृह या किसी उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा दंड किसी भी मामले में इस अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगा।”

मुख्य प्रावधान में 'निर्देशित किया जा सकता है' के साथ 'निर्देशित किया जाएगा' शब्दों का प्रतिस्थापन यह स्पष्ट करना है कि प्रावधान अनिवार्य है न कि निर्देशिका।धारा 64 को नए जोड़े गए परंतुक और स्पष्टीकरण के साथ-साथ धारा 20 में 2006 के अधिनियम 33 द्वारा किए गए अन्य संशोधनों और 2000 के अधिनियम में धारा 7 ए को शामिल करने के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य प्रावधान में कहा गया है कि जहां कानून के साथ टकराव में एक किशोर 2000 के अधिनियम के प्रारंभ में कारावास की किसी भी सजा से गुजर रहा है, उसे सजा काटने के बदले किसी विशेष गृह में भेजा जाएगा या किसी उपयुक्त संस्थान में रखा जाएगा।इसके अलावा, 2000 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है जैसे कि बोर्ड द्वारा किशोर को विशेष गृह या संस्थान में भेजने का आदेश दिया गया था और अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के तहत सुरक्षात्मक देखभाल के तहत रखने का आदेश दिया गया था। परंतुक में कहा गया है कि राज्य सरकार या बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, कानून के साथ संघर्ष में किशोर के मामले की समीक्षा करता है जो कारावास की सजा से गुजर रहा है और जो 2000 के अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले किशोर नहीं रह गया था और उचित आदेश पारित करता है।तथापि, यह स्पष्टीकरण अत्यधिक महत्व का है क्योंकि इसमें कहा गया है कि उन

सभी मामलों में जहां कानून के साथ टकराव में एक किशोर 2000 अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कारावास की सजा से गुजर रहा है, किशोरता के मुद्दे सहित किशोर के मामले को धारा 2 के खंड (1) और 2000 अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य प्रावधानों और नियमों के संदर्भ में तय किया गया माना जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि किशोर किशोर नहीं रह गया था।ऐसे किशोर को उसकी सजा की शेष अवधि के लिए विशेष गृह या उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसी सजा 2000 अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। कानून निर्धारित मामलों में भी दी गई सजा को निरस्त और संशोधित करता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

14. यह न्यायालय धरमबीर बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और

अन्य **4** ने योजना का विश्लेषण किया था और **2000** के अधिनियम को उन अभियुक्तों पर लागू किया था जिनकी आयु **18** वर्ष से कम थी।

4 (2010) 5 एस. सी. सी. 344

एच.

ऐसा अपराध करना जो 2000 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले किया गया था, राय देने और अभिनिर्धारित करने के लिए:

“14. धारा 7-ए की उप-धारा (1) के प्रावधान में विचार किया गया है कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए और इस तरह के दावे का निर्धारण 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है, भले ही किशोर 2000 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले

ऐसा करना बंद कर चुका हो।परंतुक का प्रभाव यह है कि एक किशोर जिसने अपराध करने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, वह भी 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार होगा जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (के) के प्रावधान, जो "किशोर" या "बच्चे" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, हमेशा 1986 के अधिनियम के संचालन के दौरान भी अस्तित्व में रहा था। 15.इस प्रकार, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 और 98 के साथ पठित 2000 के अधिनियम की धारा 2 (के), 2 (एल), 7-ए, 20 और 49 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि वे सभी व्यक्ति जो अपराध करने की तारीख से पहले भी अठारह वर्ष की आयु से कम थे, उन्हें किशोर माना जाएगा, भले ही किशोरता का दावा 2000 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किया गया हो और दोषी ठहराए जाने पर सजा काट रहे हों।हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, हम हरि राम बनाम राजस्थान राज्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 211 में हाल के एक फैसले में इस न्यायालय के कथन से मजबूत हुए हैंः(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 987]”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. मुमताज बनाम यू. पी. राज्य 5 में, कई पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए, इस अदालत ने 2000 के अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव और 1986 के अधिनियम के साथ इसके अंतर-खेल को स्पष्ट करने के लिए निपटायाः

जी.

“18. 2000 के अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव पर प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य [प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 551 में विचार किया गया थाः2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 742] और यह निम्नानुसार कहा गया थाः(एस. सी. सी. पी. 570, पैरा 31)

एच.

5 (2016) 11 एससीसी 786 ए

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

“31. अधिनियम की धारा 20, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है और एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है।'इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाहियों' का बहुत महत्व है।अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में कार्यवाही 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है और जो 2000 के अधिनियम के लागू होने पर लंबित है।"कोई भी अदालत" शब्द में साधारण आपराधिक अदालतें भी शामिल होंगी।यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत "किशोर" होता तो आपराधिक अदालतों में कार्यवाही लंबित नहीं होती।वे आपराधिक अदालतों में केवल तभी लंबित होंगे जब लड़का 16 वर्ष की आयु पार कर चुका हो या लड़की 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो।इससे पता चलता है कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहां कोई व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं रह गया था, लेकिन अभी तक 18 वर्ष की आयु को पार नहीं कर पाया था, तो लंबित मामला उस अदालत में जारी रहेगा जैसे कि 2000 का अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय, किशोर को बोर्ड को भेजेगी जो उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा।”

बी.

सी.

डी.

ई.

19. बिजेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 685:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 889], धारा 20 के संबंध में कानूनी स्थिति निम्नलिखित शब्दों में बताई गई थी:(एस. सी. सी. पीपी. 687-88, पैरा 8-10 &12):“8. 1986 के अधिनियम और 2000 के अधिनियम के बीच बुनियादी अंतरों में से एक पुरुषों और महिलाओं की उम्र से संबंधित है।1986 के अधिनियम के तहत, एक किशोर का अर्थ है एक पुरुष किशोर जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, और एक महिला किशोर जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।2000 के अधिनियम में, आयु के आधार पर पुरुष और महिला किशोरों के बीच अंतर नहीं रखा गया है।पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है।

एफ.

जी.

9. 1986 के अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किशोर नहीं था। मामले के उस दृष्टिकोण में सवाल

एच.

144 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

क्या 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 2000 के अधिनियम के दायरे में "किशोर" बन जाता है, इसका उत्तर उसके उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए।

10. 1986 के अधिनियम के संदर्भ में, एक व्यक्ति जो किशोर नहीं था, उस पर किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था।2000 अधिनियम की धारा 20 ऐसी स्थिति का ध्यान रखती है जिसमें कहा गया है कि इसके बावजूद उस अदालत में मुकदमा जारी रहेगा जैसे कि वह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो उस प्रभाव का एक निष्कर्ष दोषसिद्धि के फैसले में दर्ज किया जाएगा, यदि कोई हो, लेकिन किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, उसे किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") को भेजा जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा जैसे कि जांच पर संतुष्ट हो गया है कि एक किशोर ने अपराध किया है।इस प्रकार, उक्त प्रावधान में एक कानूनी कल्पना बनाई गई है।एक कानूनी कथा, जैसा कि सर्वविदित है, को इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, हालांकि इसकी अपनी सीमाएँ हैं।
...

बी.

सी.

डी.

11.***

12. इस प्रकार, कानूनी कल्पना के कारण, एक व्यक्ति, हालांकि किशोर नहीं है, को सजा देने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा एक व्यक्ति माना जाना चाहिए, जो इस स्थिति का ध्यान रखता है कि व्यक्ति हालांकि 1986 के अधिनियम के संदर्भ में किशोर नहीं है, लेकिन फिर भी उक्त सीमित उद्देश्य के लिए 2000 के अधिनियम के तहत ऐसा ही माना जाएगा।”

ई.

20. धरमबीर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [धर्मबीर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2010) 5 एस. सी. सी. 344:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1274] दोषसिद्धि के बाद भी किशोरावस्था का निर्धारण एक मुद्दा था और यह कहा गया थाः(एस. सी. सी पी.347, पैरा 11-12) "11. स्पष्टीकरण की धारा 20 की भाषा से यह

स्पष्ट है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण शामिल होंगे, बल्कि संशोधन या अपील आदि के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होना चाहिए, भले ही किशोर 2000 अधिनियम के लागू होने पर 1-1 से पहले या उससे पहले किशोर होना बंद कर दे, और अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान ए

एफ.

जी.

एच.

145

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय के लिए लागू था जब कथित अपराध किया गया था।

12. 2000 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में प्रावधान है कि "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" का अर्थ है एक "किशोर" जिसने अपराध करने का आरोप लगाया है और जिसने इस तरह के अपराध की तारीख को अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।धारा 20 अदालत को नियमित अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी व्यक्ति की किशोरता पर विचार करने और निर्धारित करने में सक्षम बनाती है और अदालत को दोषसिद्धि बनाए रखते हुए, लगाए गए दंड को दरकिनार करने और 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा देने के लिए मामले को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का भी अधिकार देती है।

बी.

सी.

21. इसी तरह कालू बनाम हरियाणा राज्य में [कालू बनाम हरियाणा राज्य, (2012) 8 एससीसी 34:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 761] इस न्यायालय का सारांश इस प्रकार हैः(एस. सी. सी. पी. 41, पैरा 21)

डी.

“2 1.धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान करती है।इसमें कहा गया है कि किशोर अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस अदालत में जारी रखी जाएगी जैसे कि किशोर अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि अदालत को पता

चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय किशोर को बोर्ड को भेजेगी जो किशोर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगी जैसे कि किशोर अधिनियम के तहत जांच पर संतुष्ट हो गया हो कि किशोर ने अपराध किया है।धारा 20 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण शामिल होंगे, बल्कि संशोधन या अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होगा, भले ही किशोर अधिनियम के लागू होने पर या उससे पहले किशोर का किशोर होना समाप्त हो गया हो, और किशोर अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान किया गया हो।

ई.

एफ.

जी.

एच.

146 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय के लिए जब कथित अपराध किया गया था।"

16. कानून और सिद्धांत की इस स्थिति की पुष्टि इस अदालत ने की थी।

हरि राम बनाम राजस्थान राज्य **6** में पहली बार निम्नलिखित में

शब्दः

बी.

"39. 2006 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण यह बहुत स्पष्ट करता है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण शामिल होंगे, बल्कि संशोधन या अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होगा, भले ही किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के लागू होने पर या उससे पहले किशोर का किशोर होना समाप्त हो गया हो, और अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय के लिए लागू था जब कथित अपराध किया गया था।वास्तव में, धारा 20 अदालत को नियमित अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी व्यक्ति की किशोरता पर विचार करने और निर्धारित करने में सक्षम बनाती है और दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए अदालत को आरोपित सजा को

दरकिनार करने और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सजा देने के लिए मामले को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का भी अधिकार देती है।"

सी.

डी.

ई.

17. उपरोक्त और उपरोक्त निर्णयों में वर्णित कानूनी स्थिति के आलोक में, यह न्यायालय इस स्तर पर सत्य देव की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय और निर्धारण कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि सत्य देव 1986 के अधिनियम के तहत अपराध की तारीख को किशोर होने के लाभ के हकदार नहीं थे, और 2000 के अधिनियम के लागू होने पर वयस्क हो गए थे।चूंकि सत्य देव की आयु आई. डी. 1 पर अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम थी, इसलिए वह किशोर के रूप में माने जाने और 2000 के अधिनियम के अनुसार लाभ दिए जाने का हकदार है। 18.यह हमें इस प्रश्न पर लाता है कि क्या किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2015 अधिनियम) लागू होगा क्योंकि 2015 अधिनियम धारा 111 की उप-धारा (1) के माध्यम से 2000 अधिनियम को निरस्त करता है, हालांकि धारा 111 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि इसके बावजूद 2000 अधिनियम के तहत किया गया कुछ भी निरसन या की गई कोई भी कार्रवाई 2015 अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। 2000 अधिनियम की धारा 69 'निरसन और बचत खंड' है -

एफ.

जी.

6 (2009) 13 एससीसी 211 ए

एच.

147

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

जैसा कि इसकी उप-धारा (1) ने 1986 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इस तरह के निरसन के बावजूद 1986 के अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई 2000 के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। हालाँकि, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है वह 2015 के अधिनियम की धारा 25 है, जो उस धारा के शीर्षलेख के अनुसार, 'लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान' को शामिल करती है और पढ़ती है:

बी.

“इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी बोर्ड या अदालत के समक्ष लंबित किसी बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाहियों को उस बोर्ड या अदालत में जारी रखा जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था।”

सी.

धारा 25 एक गैर-अस्थाई खंड है जो 2015 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख यानी 31 दिसंबर 2015 को किसी भी बोर्ड या अदालत के समक्ष लंबित कानून के साथ कथित या टकराव में पाए गए बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाही पर लागू होता है।इसमें कहा गया है कि उस बोर्ड या अदालत में लंबित कार्यवाही जारी रखी जाएगी जैसे कि 2015 का अधिनियम पारित नहीं किया गया था।अख्तरी बी बनाम एम. पी. 8 राज्य में, यह देखा गया कि अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार होने के नाते, निचली अदालत का फैसला अपील के लंबित रहने के दौरान अंतिमता प्राप्त नहीं करता है और उस उद्देश्य के लिए दोषसिद्धि के बावजूद मुकदमा जारी माना जाता है।इस प्रकार, 2015 के अधिनियम की धारा 25 में बोर्ड या अदालत के समक्ष 'कोई भी' शब्द के उपयोग का अर्थ होगा और इसमें अपीलीय अदालत या अदालत सहित कोई भी अदालत शामिल होगी जिसके समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित है। यह 'एक बच्चे पर आरोप लगाया गया है या कानून के साथ टकराव में पाया गया है' शब्दों के उपयोग से भी स्पष्ट है।'पाया' शब्द का उपयोग भूतकाल में किया जाता है और यह उन मामलों में लागू होता है जहां आदेश/निर्णय पारित किया गया है।'अभिकथित' शब्द उन कार्यवाहियों को संदर्भित करता है जहां कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और मामला विचाराधीन है।इसके अलावा, 2015 अधिनियम की धारा 25 बोर्ड या अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसमें अपीलीय अदालत या अदालत सहित कोई भी अदालत शामिल होगी, जहां पुनरीक्षण याचिका लंबित है।धारा 25 के संदर्भ में, 'न्यायालय' शब्द का अर्थ एक सिविल न्यायालय तक सीमित नहीं है, जिसे 2015 के अधिनियम 9 की धारा 2 के खंड (23) के संदर्भ में 'गोद लेने' और 'संरक्षकता' के मामले में अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।परिभाषा खंड तब तक लागू होता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7 2015 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (12) के अनुसार 'बच्चा' अभिव्यक्ति में लिखा है-'एक व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है'।

8 (2001) 4 एस. सी. सी. 355

9 “(23) – “"न्यायालय" से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे गोद लेने और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और जिसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं।

एच.

धारा 25 के मामले में, विधायिका स्पष्ट रूप से एक दीवानी अदालत का उल्लेख नहीं कर रही है क्योंकि यह धारा एक बच्चे के संबंध में लंबित कार्यवाही से संबंधित है जो कथित या कानून के साथ संघर्ष में पाया जाता है, जो एक दीवानी अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही नहीं हो सकती है।चूंकि 2015 का अधिनियम 2000 के अधिनियम को सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू करने की रक्षा करता है और पुष्टि करता है, इसलिए हम यह नहीं पढ़ते हैं कि 2015 के अधिनियम का विधायी इरादा इसके विपरीत है, यानी 2015 के अधिनियम को सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू करना है।

बी.

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 जो किसी अधिनियम के "निरसन" के परिणाम का प्रावधान करती है, वह इस प्रकार हैः

6. निरसन का प्रभाव।जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तो जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन नहीं होगाःXXX

सी.

डी.

(ग) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है;

नतीजतन, 2015 के अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के आलोक में, एक आरोपी को अपराध करने के समय अठारह वर्ष से कम उम्र में किशोर के रूप में माने जाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा अधिकार जो उसने 2000 के अधिनियम के तहत प्राप्त किया और फलीभूत किया है, भले ही

अपराध 2000 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किया गया था।2015 के अधिनियम, 2000 की धारा 25 के संदर्भ में उन कार्यवाहियों को लागू करना और नियंत्रित करना जारी रहेगा जो 2015 के अधिनियम के लागू होने के समय लंबित थीं।(वर्तमान मामले में, हमें इस प्रश्न की जांच और निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 2000 अधिनियम या 2015 अधिनियम 2015 अधिनियम के अधिनियमन से पहले अपराध किए जाने पर लागू होगा, लेकिन आरोप पत्र 2015 अधिनियम के अधिनियमन के बाद दायर किया गया था। जवाब के लिए संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) और कई अन्य पहलुओं की जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि 2015 का अधिनियम कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है।इन पहलुओं और मुद्दों पर हमारे सामने बहस नहीं की गई है)।

ई.

एफ.

जी.

एच.

149

सत्य देव @भोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

19. गौरव कुमार @मोनू बनाम हरियाणा राज्य 10 के मामले में इस अदालत का निर्णय, जिस पर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह निर्णय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 की व्याख्या और आवेदन पर है, ताकि उम्र के निर्धारण में प्रक्रिया का पालन किया जा सके। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हमारे सामने चुनौती नहीं दी जाती है और उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है।हम फिर से दर्ज करेंगे कि सत्य देव अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र के थे और यह निर्विवाद और निर्विवाद बना हुआ है।

बी.

20. सत्य देव अब तक 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं।मुमताज @मुनतियाज़ (उपरोक्त) मामले में, सजा की मात्रा और प्रकृति से संबंधित, जो अपराध करने की तारीख को एक किशोर व्यक्ति को दी जानी चाहिए, इस अदालत ने जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 11 मामले में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा थाः

सी.

22. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि 2000 के अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जहां आरोपी 16 वर्ष से अधिक आयु का था, लेकिन घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का था, अदालत में लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और इसे इस अपवाद के साथ तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा कि किशोर को दोषी पाए जाने पर अदालत उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित नहीं करेगी, लेकिन किशोर को 2000 के अधिनियम के तहत उचित आदेश के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। ऐसे मामले में किस तरह का आदेश पारित किया जा सकता है जहां वर्तमान मामले के समान स्थिति में किशोरता के दावे को स्वीकार किया गया था, इस न्यायालय द्वारा जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में निपटा गया था। [जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 11 एस. सी. सी. 193:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 725] निम्नलिखित शब्दों में:(एस. सी. सी. पीपी. 210-11, पैरा 32)

डी.

ई.

एफ.

“32. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत प्रदान किए गए "दंड" के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए, उसे [खंड (ए)] सलाह देना या चेतावनी देना शायद ही कोई "दंड" हो जो दिया जा सके क्योंकि यह अपराध की गंभीरता के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है।इसी तरह, उनकी लगभग 40 वर्ष की आयु को देखते हुए, यह उम्मीद करना पूरी तरह से भ्रम है।

जी.

10 (2019) 4 एससीसी 549 11 (2013) 11 एससीसी 193

एच.

अपीलार्थी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाना है, जिसे किसी माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति [खंड (बी)] की देखरेख में रखा जाना है।इसी कारण से, अपीलार्थी को किसी उपयुक्त संस्थान [खंड (ग)] की देखरेख में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता है और न ही उसे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 10 के तहत किसी विशेष गृह में भेजा जा सकता है, जिसका उद्देश्य अपराधी किशोरों [खंड (घ)] के पुनर्वास और सुधार के लिए है।एकमात्र यथार्थवादी सजा जो संभवतः इस मामले के तथ्यों पर अपीलार्थी को दी जा सकती है, वह है किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 21 (1) के खंड (ई) के तहत जुर्माना देना।”

बी.

सी.

21. उपरोक्त अनुपात और ऊपर स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के बाद, जब हम सत्य देव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं, तो हम आजीवन कारावास की सजा को दरकिनार कर देंगे। हम 2000 के अधिनियम की धारा 15 के तहत उचित आदेश/निर्देश पारित करने के लिए बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में मामला भेजेंगे, जिसमें निर्धारित करने और जुर्माने की उचित मात्रा का भुगतान और मृतक के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल शामिल है।हम 2000 अधिनियम की धारा 15 के तहत आदेश/निर्देश पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं।

डी.

22. तदनुसार, हम जेल अधिकारियों को इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष सत्य देव को पेश करने का निर्देश देंगे।बोर्ड तब निरोध और अभिरक्षा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और उसके बाद 2000 अधिनियम के तहत आदेश/निर्देश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

ई.

23. सत्य देव द्वारा दायर अपील को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

एच.